अदालत उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा मुकाम पीलीबगा

अमरीक सिंह बनाम मांगीलाल आदि G.C.M.S. 2022/79

कस्म मुकदमा किस्म– 212 रा.का.अ. मुकदमा संख्या 181 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2022	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनता है। अतः **अप्रार्थीगण** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंन्धित किया जाता है कि रकबा तहसील पीलीबंगा के वाके **चक 10 एसटीबी के खाता सं. 11 के प.नं. 39/358 के किला 5/1, 6, 15, 16, 25 कुल 1.240 हैक. कृषि भूमि को रहन बैय नही करे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर अस्थाई निशेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित हो।** इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश करे कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं व सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.08.2022 को पेश हो। [signature]	
08/08/22	**वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय** अन्य कार्य में व्यस्त है **पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक** 10/08/2022 **को पेश हो।** [signature]	Note Press
10.8.2022	पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा उक्त अनुबन्ध के वाद पत्र को विद्रो। नोट प्रेस कर लिया गया है। अतः इन अनुबन्ध के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर प्रार्थी द्वारा विद्रो। नोट प्रेस किये जाने पर प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19/7/2022 खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर शुमार से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। [signature]	अमरीक सिंह [signature]